रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2012/माघ 7, 1933

No. 33] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2012/MAGHA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 52(अ).— राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए और विभागीकृत लेखा सेवा (समूह 'घ') भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा में बहु कार्य कर्मचारिवृंद समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (बहु कार्य कर्मचारिवृंद, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं -** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में समनुदेशित है;

(ख) "काडर" से बहु कार्य कर्मचारिवृंद काडर अभिप्रेत है । प्रत्येक मंत्रालय इन नियमों के उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट पदों की कुल संख्या में समाविष्ट बहु कार्य कर्मचारिवृंद की अपनी अपनी श्रेंणियों में बहु कार्य कमचारिवृंद का अपना स्वयं का पृथक और स्वतंत्र काडर होगा;

(ग) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "महालेखा नियंत्रक " से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत महालेखा नियंत्रक द्वारा इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किए गए अपर महालेखा नियंत्रक या संयुक्त महालेखा नियंत्रक या उप महालेखा नियंत्रक या सहायक महालेखा नियंत्रक भी है;

(ङ) "मंत्रालय" से भारत सरकार का कोई मंत्रालय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत इन नियमों से उपाबंध में विनिर्दिष्ट मंत्रालय के कोई विभाग या कोई कार्यालय भी है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा" से केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'ग') अभिप्रेत है।

3. **पद-सख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान :** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हता आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **स्थानांतरण** - (1) बहु कार्य कर्मचारिवृंद भारत के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए दायी होंगे।

(2) महालेखा नियंत्रक का यदि यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी कर्मचारिवृंद के अनुरोध पर उसी श्रेणी में एक मंत्रालय से दूसरे में स्थानांतरण कर सकेगा।

6. **निरर्हता** : यह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
बहु कार्य कर्मचारिवृंद	837* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, सिवाय जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
11	12
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
समूह ''ग'' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) लेखा नियंत्रक/उप महालेखा महानियंत्रक - अध्यक्ष * उप लेखा नियंत्रक - सदस्य ** ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी - सदस्य * उप महालेखा नियंत्रक तब अध्यक्ष हो सकेगा जब मंत्रालय में, जहां विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होती है वहां कोई लेखा नियंत्रक नहीं है । ** यदि उप लेखा नियंत्रक उपलब्ध नहीं है तो यथास्थिति, उप लेखा नियंत्रक के बदले में उसके स्थान पर सहायक लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन और लेखा अधिकारी हो सकेंगे।	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-11020/3/2010/एमएफ. सीजीए/आरआर]

सोनाली सिंह, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

उपाबंध

बहु कार्य कर्मचारिवृंद की स्वीकृत संख्या

क्रं.सं.	मंत्रालय/विभाग	पदों की संख्या
1.	कृषि	39
2.	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	24
3.	केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड	61
4.	रसायन और पेट्रो रसायन	2
5.	नागर विमानन और पर्यटन	10
6.	वाणिज्य और कपड़ा	34
7.	केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	11
8.	उपभोक्ता कार्य और जन वितरण	34
9.	कोयला	4
10.	पर्यावरण और वन	9
11.	विदेश कार्य	11
12.	भूमि विज्ञान	7
13.	उर्वरक	3
14.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	3
15.	वित्त	24
16.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	42
17.	गृह कार्य	94
18.	मानव संसाधन विकास	27
19.	आई.एन.जी.ए.एफ.	8
20.	सूचना और प्रसारण	39
21.	सूचना प्रौद्योगिकी	5
22.	उद्योग	19
23.	श्रम और रोजगार	14
24.	विधि न्याय और कंपनी कार्य	12
25.	खान	54
26.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	1
27.	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन	18
28.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	1
29.	योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन	13
30.	विद्युत (ऊर्जा)	11
31.	ग्रामीण विकास	9

32.	सड़क परिवहन और पोत	24
33.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	11
34.	इस्पात	6
35.	समाजिक न्याय और रोजगार	2
36.	पूर्ति	49
37.	शहरी विकास	73
38.	जल संसाधन	29
	कुल	837

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2012

G.S.R. 52(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Departmentalised Accounts Service (Group 'D' posts)Recruitment Rules,2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Multi tasking staff posts in the Central Civil Accounts Service, namely:-

1. **Short title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Multi tasking staff, Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing authority" shall have the same meaning as assigned to in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1965;

(b) "Cadre" means the cadre of Multi tasking staff. Each Ministry shall have its own separate and independent cadre of Multi tasking staff comprising total number of posts as

6. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

7. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

specified in the Annexure to these rules, in the respective grade of Multi tasking staff;

(c) "Government" means the Government of India;

(d) "Controller General of Accounts" means the Controller General of Accounts in the Department of Expenditure, Ministry of Finance and includes Additional Controller General of Accounts or Joint Controller General of Accounts or Dy. Controller General of Accounts or Assistant Controller General of Accounts authorised by the Controller General of Accounts to exercise powers under these rules;

(e) "Ministry" means a Ministry in the Government of India and includes Departments of the Ministry or an Office specified in the Annexure to these rules;

(f) "Schedule" means Schedule annexed to these rules;

(g) "Service" means the Central Civil Accounts Service (Group 'C').

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/ pay scale.**— The number of posts, their classification and pay band and grade pay/ pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, educational qualification etc.**— The method of recruitment, age limit, educational qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule annexed to these rules.

5. **Transfer.**— (1) The Multi tasking staff shall be liable to serve in any part of India .

(2) The Controller General of Accounts may, if satisfied that it is necessary or expedient in public interest so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing, transfer a Multi tasking staff on request by officer from one Ministry to the other in the same grade.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale.
1	2	3	4
Multi Tasking Staff.	837*(2010)*subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band- 1 Rs. 5200-20200 +Grade Pay Rs. 1800/-.
Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules,1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	6	7	8
Not applicable.	Not applicable.	Between 18 and 25 years age Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,	Matriculation or equivalent pass from a recognized School/Board.

		Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Panagi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
9	**10**	**11**	**12**
Not applicable.	Two years.	By Direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	**14**

Group 'C' Departmental Promotion Committee(for considering confirmation) Controller of Accounts/ Deputy Controller General of Accounts- **Chairman*** Deputy Controller of Accounts- **Member**** Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer-**Member** * Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental Promotion Committee takes place. ** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available.	Not applicable.

[F. No. A-11020/3/2010/MF.CGA/RR]

SONALI SINGH, Jt. Controller General of Accounts

ANNEXURE

SANCTIONED STRENGTH OF MULTI TASKING STAFF

Sl.No.	Ministry/Deptt.	No.of posts
1.	Agriculture	39
2.	Central Board of Direct Taxes	24
3.	Central Boar of Excise and Customs	61
4.	Chemical & Petro Chemicals	2
5.	Civil Aviation & Tourism	10
6.	Commerce & Textile	34
7.	Central Pension Accounting Office	11
8.	Consumer Affairs & Public Distribution	34
9.	Coal	4
10.	Environment & Forest	9
11.	External Affairs	11
12.	Earth Sciences	7
13.	Fertilizer	3
14.	Food Processing Industries	3
15.	Finance	24
16.	Health & Family Welfare	42
17.	Home Affairs	94
18.	Human Resources Development	27
19.	I.N.G.A.F.	8
20.	Information & Broadcasting	39
21.	Information & Technology	5
22.	Industry	19
23.	Labour & Employment	14
24.	Law,Justice & Company Affairs	12
25.	Mines	54
26.	Non Conventional Energy Sources	1
27.	Personnel, Public Grievance & Pension	18
28.	Petroleum & Natural Gas	1
29.	Planning & Programme Implementation	13
30.	Power	11
31.	Rural Development	9
32.	Road Transport & Highway & Shipping	24
33.	Science & Technology	11
34.	Steel	6
35.	Social Justice & Employment	2
36.	Supply	49
37.	Urban Development	73
38.	Water Resources	29
	Total	837

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.